कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थीः श्री पेमा डांगी | **विपक्षी** श्री दल्ला व अन्य

किस्म मुकदमा–आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151 जा.दी. | **प्रकरण संख्याः** 02 / 2025

	कार्यवाही विवरण	
13–01–2025	पत्रावली दर्ज होकर पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश कर अंकित किया कि प्रकरण संख्या 02/2023 प्रा.प. आप न्यायालय मे विचाराधिन होकर दिनांक 04–12–2024 को पेशी नियत थी। उक्त पेशी दिनांक को हमारी पेशी डायरी में उक्त प्रकरण का गलत इन्द्राज के कारण हम आप न्यायालय में उपस्थित नही हो सके थे एवं बार–बार आवाज लगने पर भी हमें सूचना नहीं होने पर हम अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से पेशी दिनांक पर उपस्थित नही हो पाये। जिस कारण से न्यायालय द्वारा दिनांक 04–12–2024 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरि व अदम पैरवी मे खारिज किया गया। जिसकी जानकारी होते ही बिना विलम्ब के प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने का पेश किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लेने का आदेश फरमावे। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चौबिसा एवं मुकेश पटेल हाजिर आये जिन्होने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. पर नो ऑब्जेक्सन अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त न्यायहित मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दि. स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 02/2023 प्रा.प. उनवान श्री पेमा बनाम श्री दल्ला व अन्य मे में पारित आदेश दिनांक 04–12–2024 को अपास्त कर प्रकरण सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। मूल प्रकरण संख्या 02/2023 प्रा.प. मे पक्षकार आगामी पेशी दिनांक **29–01–2025** को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर करु दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 13/01/25 को सरे ईजलास सुनाया गया। (पर्वत सिंह चूण्डावत RAS) उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर सलूम्बर सलूम्बर जिला सलूम्बर सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)	